भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *221

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

*221. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त लक्ष्य क्या-क्या हैं;

(ख) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रगति धीमी रही है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की धीमी प्रगति का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं और इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण के बारे में जानकारी है, जिससे अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एनएचएआई ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं और इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या रही है; और

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण' के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *221 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान 12,200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके मुकाबले नवंबर, 2022 तक 4,766 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है।

(ख) और (ग) मंत्रालय निर्माण की प्रगति की निरंतर निगरानी करता है और देखा गया है कि निर्माण की गति वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान मानसून के मौसम के बीच में आने के कारण आम तौर पर धीमी थी, और वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में इसमें गति आई है। मंत्रालय ने यह भी आकलन किया है कि इस वर्ष मानसून के दौरान औसत से अधिक वर्षा ने निर्माण प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर तक निर्मित 4/6/8 लेन एनएच की कुल लंबाई 2,038 किलोमीटर है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान निर्मित 1,806 किलोमीटर से अधिक है। हालांकि, इस वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर तक निर्मित सभी श्रेणी के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,766 किलोमीटर है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान बनाए गए 5,118 किलोमीटर से कम है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध-I और अनुबंध-II में हैं।

मंत्रालय निर्माण प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और परियोजनाओं में समस्याओं/बाधाओं को हल करने और एनएच के निर्माण में तेजी लाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों, ठेकेदारों/विकासकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और प्रगति में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों/डेवलपर्स के पास उपलब्ध नकदी को बढ़ाने में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ड.) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपे गए एनएच पर मार्गाधिकार के भीतर विशेष रूप से शहरी/निर्मित क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के उदाहरण हैं। एनएचएआई के अधिकारियों को न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बल्कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अतिक्रमण हटाने के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाया गया है। एनएचएआई राज्य सरकारों के साथ नियमित परामर्श करता है, और अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए उनकी कानून-व्यवस्था में सहायता करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है। राज्य सरकारें पुलिस कर्मियों को तैनात करके एनएचएआई की सहायता करती हैं, जिसके आधार पर एनएचएआई द्वारा नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं।

(च) अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 और राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिक्रमण रोकने के लिए मार्गाधिकार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर दीवार/चारदीवारी का निर्माण करने के लिए भी अधिकृत किया है। एनएचएआई के सभी प्रमुख अनुबंधों में, नियमित अंतराल पर एनएच के संबंधित खंड पर गश्त करने के लिए पेट्रोलिंग वाहनों के लिए प्रावधान किया गया है, जो प्रारंभिक चरणों में अतिक्रमणों की पहचान करने में मदद करता है और तत्काल उपचारात्मक उपायों को सक्षम बनाता है। कुछ मामलों में, भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं से बचने के लिए बाईपास या एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अत्यधिक निर्मित अतिक्रमण क्षेत्रों के आसपास या ऊपर किया जाता है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण' के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *221 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नवंबर-2021 तक, वित्त वर्ष: 2021-22

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	सुदृढ़ीकरण	2 लेन	4 लेन	6/8 लेन
		(किमी)	(किमी)	(किमी)	(किमी)
1	अण्डमान और निकोबार	0.00	23.99	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	34.10	125.62	29.06	33.95
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	82.26	0.12	0.00
4	असम	101.12	36.62	50.02	0.00
5	बिहार	80.53	62.90	55.25	0.00
6	छत्तीसगढ	102.53	66.43	31.46	0.00
7	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	13.55	0.00	2.00	0.00
10	गुजरात	11.00	26.41	41.34	20.81
11	हरियाणा	0.00	1.09	66.95	105.62
12	हिमाचल प्रदेश	75.55	1.00	30.91	0.00
13	जम्मू और कश्मीर	119.05	41.80	36.91	0.00
14	झारखंड	33.55	39.31	11.11	5.04
15	कर्नाटक	52.81	51.49	51.61	29.95
16	केरल	44.09	0.00	1.07	0.94
17	मध्य प्रदेश	120.20	54.21	55.24	58.42
18	महाराष्ट्र	152.58	360.07	322.15	7.52
19	मणिपुर	80.14	12.82	5.74	0.00
20	मेघालय	0.00	12.62	0.00	0.00
21	मिजोरम	73.94	32.05	0.00	0.00
22	नगालैंड	20.50	80.85	10.97	0.00
23	ओडिशा	94.84	42.42	75.44	25.55
24	पुदुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
25	पंजाब	0.00	63.64	10.65	0.00
26	राजस्थान	14.00	165.07	19.29	215.46
27	सिक्किम	3.56	10.50	0.00	0.00
28	तमिलनाडु	15.24	120.87	71.15	0.91
29	तेलंगाना	12.71	32.64	66.20	1.48
30	त्रिपुरा	45.40	36.62	0.00	0.00
31	यूटी लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
32	उत्तर प्रदेश	28.16	83.12	172.97	37.25
33	उत्तराखंड	158.72	68.56	20.88	0.00
34	पश्चिम बंगाल	76.91	12.08	19.96	4.99
कुल		1565	1747	1258	548
		3312		**1806**	

'राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण' के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता और श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *221 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नवंबर-2022 तक, वित्त वर्ष: 2022-23

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	सुदृढ़ीकरण	2 लेन	4 लेन	6/8 लेन
		(किमी)	(किमी)	(किमी)	(किमी)
1	अण्डमान और निकोबार	0	4.4	0	0
2	आंध्र प्रदेश	61.14	87.29	11.12	31
3	अरुणाचल प्रदेश	0	130.3	0	0
4	असम	96.51	2.4	56.68	5
5	बिहार	2.05	90.27	149.85	18
6	छत्तीसगढ	29.25	44.72	15	0
7	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0
8	दिल्ली	0	0	0	0
9	गोवा	12.62	0	1.32	0
10	गुजरात	47.63	11	72	75
11	हरियाणा	6.69	0	59	23
12	हिमाचल प्रदेश	21.27	16.34	25	0
13	जम्मू और कश्मीर	50.36	41.63	42.09	0
14	झारखंड	25.1	54.35	26	2
15	कर्नाटक	0	61.7	88.51	35.1
16	केरल	14.7	0	1	10
17	मध्य प्रदेश	100.2	126.5	76.55	36
18	महाराष्ट्र	49.96	174.25	352.73	6
19	मणिपुर	58.48	28.93	0	0
20	मेघालय	0.04	24.1	0	0
21	मिजोरम	23.08	75.27	0	0
22	नगालैंड	73.14	65.09	5.78	0
23	ओडिशा	21.13	51.24	37	21
24	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
25	पंजाब	0	65.46	65	3
26	राजस्थान	104.28	68.89	54	190
27	सिक्किम	5.56	8.41	0	0
28	तमिलनाडु	82.43	58.64	117.65	20
29	तेलंगाना	0	44.45	45.22	1
30	त्रिपुरा	6.07	76.48	0	0
31	यूटी लद्दाख	0	51.02	0	0
32	उत्तर प्रदेश	41.28	92.75	182.71	23
33	उत्तराखंड	110.21	18.72	16.82	0
34	पश्चिम बंगाल	78.14	31.96	32	6
कुल		1121	1607	1533	505
		2728		**2038**	

*****